

# जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवादा।

(DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION & TRAINING, NAWADA)



(श्री अनन्त कुमार, प्राचार्य)  
Shri Anant Kumar, principal

Website:-www.dietnawada.in

Pin Code:-805110

पत्रांक.....41.....

नवादा, दिनांक 29/01/2021

प्रेषक,

प्राचार्य  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवादा।

सेवा में,

सभी प्रथम चयन सूची द्वारा चयनित अभ्यर्थी,

विषय: - डी0 एल0 एड0 कोर्स द्विवर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण सत्र 2020-2022 में नामांकन के लिए आवश्यक निर्देश।  
महाशय,

सूचित करना है कि D.El.Ed. कोर्स द्विवर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण सत्र 2020-2022 में नामांकन के लिए आपका चयन औपबधिक रूप से हुआ है। आप दिनांक 30.01.2021 से 05.02.2021 तक कार्यदिवसों में (10.00 बजे से 04.00 बजे तक) अपना नामांकन निम्नांकित कागजातों के साथ लेना सुनिश्चित करें-

1. ऑनलाईन आवेदन की प्रिन्ट कॉपी।
2. 10 वीं एवं 12 वीं का मूल अंक -पत्र एवं प्रमाण पत्र।
3. आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
5. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (EWS) ECONOMICALLY WEAKER SECTION प्रमाण पत्र।
6. शपथ पत्र नोटरी द्वारा।
7. विकलांग प्रमाण पत्र की मूल प्रति (केवल विकलांग अभ्यर्थियों के लिए)।
8. अंतिम संस्थान का विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
9. राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्मित बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवादा के नाम से बना हो तथा नवादा में भुगतये हो। बैंक ड्राफ्ट निम्न राशि का होना चाहिए-  
(क) 7000/- (सात हजार रुपये) केवल अनुसूचित जाति/जन जाति/निःशक्त कोटि के लिए। इस राशि में दोनों वर्षों का कॉशन मनी शामिल है।  
(ख) 11500/- (ग्यारह हजार पाँच सौ रुपये) अन्य कोटि (क में वर्णित के अलावा) के लिए। इस राशि में दोनों वर्षों का कॉशन मनी शामिल है। यह राशि विद्यार्थियों के लिए मासिक भोजन एवं आवास शुल्क छोड़कर है।  
कॉशन मनी की राशि महाविद्यालय छोड़ने के समय अभ्यर्थी को चेक द्वारा वापस की जाएगी।
10. स्वस्थता प्रमाण पत्र (रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा निर्गत)
11. चार पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो।
12. सभी प्रमाणपत्रों की दो-दो स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ सभी मूल प्रमाणपत्रों को एक बन्द फाइल में लाना अनिवार्य है।

निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं लेने पर एवं किसी प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता की स्थिति में नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नामांकन लिया जाएगा। सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने की स्थिति में नामांकन रद्द करते हुए कानूनी कारवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

Anant Kumar

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,

नवादा।

29/01/2021